

भाग-iv

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

प्रस्ताव सं- 49983/2020

17- टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा

के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और
निर्दिष्ट सिफारिशें।

CFR 1252 की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन
संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की
जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

h8

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow
हस्ताक्षर

दिनांक- 5/7/24

स्थान-

नाम-

सरकारी मोहर